भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1151
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

अवांछित फोन कॉल करने/संदेश भेजने में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

1151 श्री नरेश गुजराल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मोबाइल पर अवांछित फोन कॉल करने और संदेश भेजे जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस कार्य में संलिप्त मोबाइल कंपनियों के विरुद्ध कड़े उपाय करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग) : ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) का समाधान करने के लिए एक संशोधित कार्यपद्धत्ति निर्धारित की है और ये विनियम दिनांक 27.09.2011 से लागू किए गए। ट्राई द्वारा उठाए गए इन कदमों की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) की समस्या काफी कम हुई है। इन विनियमों का क्रियान्वयन किए जाने से ग्राहकों द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं के पास दर्ज कराई गई शिकायतों की संख्या जोकि नए विनियमों के लागू किए जाने से पहले प्रतिमाह औसतन 47454 शिकायतें (मार्च, 2010 से मार्च, 2011 की अवधि का औसत) थीं, से कम होकर इन विनियमों के लागू किए जाने की तारीख यानी दिनांक 27.9.2011 से 27175 शिकायतें प्रतिमाह रह गई हैं।

इसके अलावा, ट्राई ने विनियामक कार्यतंत्र को अधिक प्रभावशाली और कड़ा बनाने के लिए निर्देश और इन विनियमों में अनेक संशोधन भी जारी किए हैं। ट्राई ने, हाल ही में, नीचे उल्लखित किए गए संशोधनों को जारी किया है जिनमें कार्यतंत्र द्वारा अवांछित कॉलों/संदेशों को और प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय निहित हैं :-

(i) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम में दसवें संशोधन को दिनांक 5.11.2012 को जारी किया गया है। अपंजीकृत टेलीमार्केटरों द्वारा बड़ी मात्रा में एसएमएस पैकेजों या प्रशुल्क योजनाओं, जिनमें नाम मात्र का प्रभार देकर बड़ी संख्या में एसएमएस भेजे जाने का प्रावधान है, के दुरूपयोग को रोकने के लिए रियायती दर पर प्रति सिम कार्ड, प्रति दिन एक सौ से अधिक एसएमएस भेजने पर एक मूल्यरोधक लगाया गया है और एक दिन में एक सौ से अधिक एसएमएस भेजने के लिए 50 पैसे का न्यूनतम प्रभार लगाया गया है।

जारी.....2/-

इसके अलावा, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में प्रचारात्मक एसएमएस भेजे जाने से अपंजीकृत टेलीमार्केटरों को प्रतिबंधित करने के लिए अभिगम सेवा प्रदाताओं ने एक समाधान प्रस्तुत किया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसी स्रोत या नम्बर से समान या मिलती जुलती सामग्री या विषयवस्तु या संदेश वाले वाणिज्यिक एसएमएस न भेजे जा सकें। इस समाधान से यह भी सुनिश्चित होगा कि एक घंटे में एक ही "स्रोत" से 200 से अधिक एसएमएस न भेजे जा सकें। इन उपायों को क्रियान्वित किए जाने से ट्राई को आशा है कि अवांछित वाणिज्यिक एसएमएस की समस्या का प्रभावी एवं संतोषजनक रूप से निदान हो जाएगा।

(ii) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम में बारहवें संशोधन को दिनांक 23.05.2013 को जारी किया गया है। इस विनियम में अवांछित कॉल/एसएमएस भेजने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के सभी दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने, ऐसे उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों को दो वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाले जाने, ऐसे उपभोक्ताओं को काली सूची में डाले जाने के 24 घंटों के अंदर अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे उपभोक्ताओ के दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, किसी अभिगम प्रदाता द्वारा काली सूची में डाले गए ऐसे उपभोक्ताओं को दो वर्ष की अवधि तक कोई दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा। ट्राई द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों के अनुपालन में अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के कुल लगभग तीन लाख टेलीफोन कनेक्शन काटे गए हैं और ऐसे 25295 उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों को काली सूची में डाला गया है।

इसके अलावा, इन विनियमों के उल्लंघन के लिए प्रचालकों पर एक लाख रूपए से लेकर दस लाख रूपए तक का वित्तीय दंड लगाए जाने का ट्राई के विनियम में पहले ही प्रावधान किया गया है। यदि अभिगम सेवा प्रदाता इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे वित्तीय दंड की मार्फत निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा :-

क्रम संख्या	अभिगम सेवा प्रदाता द्वारा उल्लंघन की संख्या	वित्तीय दंड
1	प्रथम उल्लंघन पर	1,00,000/- रूपए
2	द्वितीय उल्लंघन पर	5,00,000/- रूपए
3	तृतीय उल्लंघन और इसके बाद के उल्लंघन पर	10,00,000/- रूपए

क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का निदान करने और विनियामक कार्यतंत्र को और कड़ा बनाने के लिए इन विनियमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

****